कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गोरखपुर।

पत्रांक–2017/27155/GKR/Gorakhpur/273/CFO दिनांक–जनवरी, 17, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक
मेसर्स हरिशचन्द्र एन्क्लेव,
लछीपुर, सोनौली रोड,
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– प्लाट नं0–266 / 2, लच्छीपुर, सोनौली रोड जनपद–गोरखपुर, में मेसर्स हरिशचन्द्र एन्क्लेव, में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन व्यवस्था का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र सं0–निल दिनांक–22.10.2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर से संसुगत मानकों के अनुसार कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक–10.01.2017 का परिशीलन कर निम्न विवरण पाया गयाः–

पत्र संख्या–अ–24 / एफ0एस0–2012 दिनांक–12.03.2013 के अनुसार निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था निम्नवत हैः–

1– **पहुँच मार्गः**–उक्त भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते है।

2– **पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत / उपरी**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

3– **स्वचालित स्प्रिंकलर पद्वति**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

4– **फर्स्ट ऐड होज रील्स**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

5– **भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक–मानक संख्या–2190:1992** के अनुसार मौके पर फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित पाये गये।

6– **कम्पार्टमेन्टलाइजेशन**–वाछिंत नहीं है।

7– **स्वाचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति / हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

8– **सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था**–प्रश्नगत भवन में स्थापित है।

9– **निकास मार्ग के प्रदिप्त सकेंत चिन्ह**–भवन में स्थापित है।

10– **विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत**–जरनेटर सेट स्थापित है।

11– **फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछिंत नहीं है।

12– **वेटराइजर / डाउनकमर सिस्टम**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

13– **सेटबैक**–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

14– **निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था**–भवन में मानक के अनुसार उपलब्ध है।

15– **फायर ड्रिल**–प्रश्नगत भवन में समय–समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।

16– **अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण**–वाछिंत है।

क्रमशः–2–पर

12/1/17

17– **अग्निशमन पद्वति के प्रचालन के लिये स्टाफ/प्रशिक्षण**–प्रश्नगत भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रो को चलाने जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।

18– **निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल**–समय–समय पर वाछिंत है।

19– **सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा**–वाछिंत है।

20– **विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण**–प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वाछिंत है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।

2– भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किये जायें।

3– किसी प्रकार अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अबिलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।

5– प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायी, तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।

6– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अन्तर्गत निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के आभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(सूर्यनाथ प्रसाद)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–गोरखपुर।

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

—::—